



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:20329

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत रद्दकरण

आवेदन क्रमांक - 3 सन् 2026

नेहा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं अन्य

.....विरोधी

पक्ष(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

:

शैलेंद्र कुमार मिश्रा

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1563/2025 (हर्ष प्रताप @ शिवम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 28.10.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी है। विचाराधीन आदेश के द्वारा, इस न्यायालय ने विरोधी पक्ष संख्या 2 को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। दिनांक 28.10.2025 का आदेश नीचे उद्धृत है :-

“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता; राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता; और सूचनकर्ता की ओर से उपस्थित श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत यह वर्तमान आवेदन, प्राथमिकी संख्या 236/2025 धारा 69, 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना नवाबगंज, जिला गोंडा में गिरफ्तारी की आशंका के चलते अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. विचाराधीन प्राथमिकी इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि शिकायतकर्ता वर्ष 2022 में किसी समय आवेदक से मिला था और विवाह का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद, उन दोनों ने मिलना-जुलना शुरू कर दिया और शादी के झूठे बहाने से, कई मौकों पर उनके बीच शारीरिक संबंध बने। यह भी कहा गया कि इसके बाद सगाई की रस्में भी पूरी हुईं और कुछ दहेज भी दिया गया; हालाँकि, चूँकि पूरा दहेज नहीं दिया गया था, इसलिए आवेदक ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उपर्युक्त आरोपों के आलोक में, आवेदक के अधिवक्ता का यह निवेदन है कि पीड़िता बालिग है और शारीरिक संबंध-भले ही उन्हें सही मान लिया जाए—काफी लंबे समय तक उसकी सहमति से ही बने थे।

5. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत याचिका का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि आवेदक ने शादी का झूठा झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिकी में भी यह आरोप लगाया गया था कि 2022 से ही शादी के कथित झूठे बहाने पर शारीरिक संबंध बनाए गए थे, और 2023 में भारतीय न्याय संहिता लागू होने तक यह कृत्य अपराध की श्रेणी में भी नहीं आता था; अतः, प्रथम दृष्टया अग्रिम ज़मानत का मामला बनता है।

7. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक हर्ष प्रताप उर्फ शिवम कुमार को उपर्युक्त प्राथमिकी संख्या के संबंध में, संबंधित थाना प्रभारी/ अधीनस्त न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 30,000/- रुपये का एक निजी बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो ज़मानतदार अलग-अलग पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम ज़मानत पर छोड़ दिया जाए:

(क) यह कि अभियुक्त-आवेदक, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए जब भी आवश्यकता होगी, स्वयं को उपलब्ध कराएगा और जाँच में सहयोग करेगा;

(ख) आवेदक सुनवाई में उपस्थित रहने का वचन देते हुए एक बन्धपत्र निष्पादित करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) आवेदक उस अपराध जैसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिस पर शक है; और

(घ) आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ङ) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. तदनुसार, अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है।”

3. अभिलेख से जैसा प्रतीत होता है, अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि विरोधी संख्या 2/हर्ष प्रताप सिंह उर्फ शिवम कुमार ने, विवाह करने के झूठे बहाने से, लगभग 24 वर्षीय आवेदिका के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने, विरोधी पक्ष संख्या 2 को दिनांक 09.10.2025 के आदेश (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) के माध्यम से दी गई जमानत को रद्द करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन में दर्शाए गए आधारों को उद्धृत किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह जमानत रद्द किए जाने का एक उपयुक्त मामला है।
5. इस आवेदन में लिए गए आधार नीचे दिए गए हैं:-

“5. यह कि विरोधी पक्ष संख्या 2 ने जमानत मिलने के बाद मामले को वापस लेने की धमकी देना शुरू कर दिया, और इस प्रकार जमानत की शर्त का उल्लंघन किया गया।

अतः, उसकी जमानत खारिज किए जाने योग्य है। विरोधी पक्ष संख्या 2 ने दिनांक

31.10.2025 को इंस्टाग्राम के माध्यम से आवेदक के मोबाइल नंबर पर उसे धमकी दी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज वाले संदेश का स्क्रीनशॉट इसके साथ संलग्न किया जा रहा है, और इस शपथ-पत्र के अनुबंध संख्या 3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. यह कि आवेदक ने थाना प्रभारी नवाबगंज, जिला गोंडा से संपर्क किया और आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उन्हें इस मामले से अवगत कराया कि किस प्रकार विरोधी पक्ष मामले को वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है। जबकि, अब तक इस मामले में कोई भी विचारण शुरू नहीं हुआ है।

7. यह कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद, विरोधी पक्ष संख्या 2 लगातार आवेदक और उसके पूरे परिवार को गंभीर परिणामों की धमकी दे रहा है; जिसके संबंध में आवेदक ने थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोंडा के समक्ष कई आवेदन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 2 के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस माननीय न्यायालय के सादर अवलोकनार्थ, आवेदक द्वारा थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोंडा के समक्ष दिनांक 10.11.2025 को प्रस्तुत आवेदन की प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है, जिसे इस शपथ-पत्र के क्रमशः अनुबंध संख्या 4 एवं 5 के रूप में अंकित किया गया है।

8. थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र पंजीकृत डाक से भेजा गया है; थाना प्रभारी, नवाबगंज और पुलिस अधीक्षक, गोंडा को भेजे गए पंजीकृत पत्र की दिनांक 10.11.2025 की पावती पची इस शपथ पत्र के साथ संलग्न की जा रही है और क्रमशः अनुलग्नक संख्या 5 और 6 के रूप में चिह्नित की गई है।

9. यहाँ यह उल्लेख करना अत्यंत प्रासंगिक है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 सदैव धमकी देता था, और साथ ही स्थानीय पुलिस की सहायता से दबाव भी बनाता था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. आवेदक, उसकी माँ और पूरे परिवार को लगातार उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ रहा है; विरोधी पक्ष संख्या 2 वाद का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि इसके विपरीत, वह आवेदक पर इस मामले में समझौता करने के लिए दबाव डाल रहा है।
11. इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.10.2025 के आदेश द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 2 को छोड़ दिया था, जिसमें कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं कि विरोधी पक्ष संख्या 2 गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; परंतु वर्तमान मामले में, विरोधी पक्ष संख्या 2 नियमित रूप से आवेदक को इस मामले में समझौता करने के लिए धमका रहा है, और साथ ही गंभीर परिणामों का सामना करने की भी धमकी दे रहा है।
12. कि प्रस्तुत मामले में, ज़मानत देते समय, ज़मानत न्यायालय को न केवल आरोप की प्रकृति, बल्कि दण्ड की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा; और यदि आरोप बार-बार दोहराए जाने वाली प्रकृति का है, तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
13. गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की उचित आशंका, या शिकायतकर्ता के लिए उनके द्वारा खतरा पैदा किए जाने की आशंका को भी, ज़मानत देने के मामले में न्यायालय द्वारा गंभीरता से विचार में लिया जाना चाहिए।
14. कि आवेदक की ज़मानत पर छोड़े जाने की अवधि के दौरान, उक्त मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की स्थिति में बदलाव आया है।
15. यह कि विरोधी पक्ष संख्या 2 आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, और वह लोगों के शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक खतरा बन गया है।
16. कि यदि विरोधी पक्ष संख्या 2 की ज़मानत इस माननीय न्यायालय द्वारा रद्द नहीं की जाती है, तो वह किसी भी समय शिकायतकर्ता-आवेदक और उसके पूरे परिवार के सदस्यों की हत्या कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

17. विरोधी पक्ष संख्या 2 आवेदक पर समझौता करने के लिए दबाव डाल रहा है; आवेदक को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है, और न ही किसी भी प्राधिकारी द्वारा उसकी शिकायत/ प्राथमिकी पर कोई संज्ञान लिया गया है।

18. उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, न्याय के हित में यह उचित है कि यह माननीय न्यायालय, विरोधी पक्ष संख्या 2, जिसका नाम हर्ष प्रताप उर्फ शिवम कुमार है, के लिए दिनांक 28.10.2025 को, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1563/2025 (हर्ष प्रताप उर्फ शिवम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) जो वाद अपराध संख्या 263/2025, धारा 69, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 1/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना नवाबगंज, जिला गोंडा के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है, में पारित जमानत आदेश को रद्द करने की कृपा करे। अन्यथा, आवेदक को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।”

6. प्रार्थना यह है कि आवेदन को स्वीकार किया जाए और विरोधी पक्ष संख्या 2 को दिनांक 28.10.2025 के आदेश, जो ऊपर उद्धृत है) के माध्यम से दी गई जमानत को रद्द किया जाए।

7. उपर्युक्त बातों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद्द किए जाने के मुद्दे पर की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, जिसमें निम्नलिखित निर्णय भी शामिल है:-

7.1 जमानत रद्द करने के मुद्दे पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमांशु शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी अनलाइन एससी 187**, मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“11. अपीलकर्ताओं को दी गई जमानत रद्द करते समय, एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के अब्दुल बासित (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया। हालांकि, हम यह ध्यान देने के लिए बाध्य हैं कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त फैसले का सार अपीलकर्ताओं के पक्ष में है। इसके अलावा, यह फैसला धारा 362 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सीमित दायरे में अपने ही आदेश की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। उपरोक्त फैसले से प्रासंगिक टिपणियाँ नीचे दी गई हैं:

“ 14. अध्याय XXXIII के अंतर्गत, धारा 439(1) उच्च न्यायालय के साथ-साथ सत्र न्यायालय को किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का निर्देश देने का अधिकार देती है। धारा 439(2) उच्च न्यायालय को संहिता के अध्याय XXXIII के अंतर्गत जमानत पर छोड़े गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश देने का अधिकार देती है, अर्थात् किसी आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत रद्द करने का अधिकार। सामान्यतः जमानत रद्द करने के आधार मोटे तौर पर इस प्रकार हैं: (i) आरोपी द्वारा इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, (ii) जाँच में बाधा डालना, (iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना, (iv) गवाहों को धमकाना या ऐसी गतिविधियों में लिप्त होना जिनसे सुचारु जाँच में बाधा उत्पन्न हो, (v) उसके किसी अन्य देश भाग जाने की संभावना होना, (vi) भूमिगत होकर या जाँच संस्था के लिए अनुपलब्ध होकर स्वयं को छिपाने का प्रयास करना, (vii) स्वयं को अपने जमानतदार की पहुंच से बाहर रखने का प्रयास करना, आदि। ये आधार उदाहरण मात्र हैं, संपूर्ण नहीं। जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद, धारा 167(2) के परंतुक के तहत जाँच पूरी न करने की चूक के कारण जमानत दी गई है और दोष को आरोपपत्र दाखिल करके दूर कर दिया गया है, वहाँ अभियोजन पक्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी ने गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना आवश्यक है। हालांकि, उपरोक्त मामले में, वास्तव में बहुत मजबूत आधारों की अपेक्षा की जाती है। (रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य [(1986) 4 एससीसी 481])

15. धारा 439(2) के तहत उच्च न्यायालय को दी गई इस शक्ति के दायरे पर इस न्यायालय ने गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1978) 1 एससीसी 118] में विचार किया है।

16. गुरचरण सिंह मामले [(1978) 1 एससीसी 118] में इस न्यायालय ने संहिता के तहत जमानत रद्द करने के प्रावधान को संक्षेप में समझाया है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संक्षेप में “पुरानी संहिता”) से अंतर स्पष्ट किया है और जमानत देने और रद्द करने वाले न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में कानून की स्थिति को स्पष्ट किया है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

“16. नए संहिता की धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करती है। पुराने संहिता की धारा 498 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भी यही स्थिति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर देता है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उचित मामलों में जमानत देने का आदेश दे सकता है। इसी प्रकार, नए संहिता की धारा 439(2) के तहत, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत पर छोड़े गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने का निर्देश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दे सकता है। पुराने संहिता में, धारा 498(2) का अर्थ कुछ भिन्न था जब उसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत जमानत पर छोड़े गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है और उसे हिरासत में भेज सकता है। दूसरे शब्दों में, पुराने संहिता की धारा 498(2) के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिए गए व्यक्ति को केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही हिरासत में भेजा जा सकता था। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया है तो उसे केवल सत्र न्यायालय ही हिरासत में भेजा जा सकता था। जमानत पर छोड़ दिए गए व्यक्ति को हिरासत में भेजने के आवेदन पर सुनवाई करने की शक्ति पर यह प्रतिबंध नए संहिता की धारा 439(2) के तहत हटा दिया गया है। नए संहिता की धारा 439(2) के तहत, उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय, जिसमें सत्र न्यायालय भी शामिल है, द्वारा अध्याय XXXIII के अंतर्गत जमानत पर छोड़ दिए गए व्यक्ति को हिरासत में भेज सकता है, यदि वह ऐसा करना उचित समझे। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पहले से दी गई जमानत को रद्द नहीं कर सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद मुकदमे की कार्यवाही के दौरान कोई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों। यदि सत्र न्यायालय ने किसी आरोपी को जमानत दी है, तो राज्य के पास दो विकल्प हैं। यदि कुछ ऐसी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जो पहले राज्य को ज्ञात नहीं थीं और इसलिए उस न्यायालय को भी ज्ञात नहीं थीं, तो राज्य सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन कर सकता है। राज्य धारा 439(2) के तहत उच्च न्यायालय, जो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्चतर न्यायालय है, से भी आरोपी को हिरासत में भेजने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, जब राज्य को इससे कोई आपत्ति हो, सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत देने का आदेश रद्द कर दिया गया है और पहले से मौजूद परिस्थितियों के अलावा कोई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई हैं, इसलिए राज्य के लिए सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनः अपील करना व्यर्थ है और कानूनन जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करना उचित है। यह स्थिति सत्र न्यायालय की उच्च न्यायालय के सापेक्ष अधीनस्थ स्थिति से सिद्ध होती है। (जोर दिया गया)

17. इस संदर्भ में, इस न्यायालय के पूरन बनाम रामबिलास [(2001) 6 एससीसी 338] मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करना उपयोगी होगा। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने (एससीसी पृष्ठ 345, प्रस्तर 11) यह माना कि अनुचित, अवैध या विकृत आदेश को रद्द करने की अवधारणा, आरोपी के दुराचार के आधार पर या कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जमानत आदेश को रद्द करने से बिल्कुल भिन्न है। नरेंद्र के. अमीन बनाम गुजरात राज्य [(2008) 13 एससीसी 584] मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया और समीक्षा या अपील में उपलब्ध राहत के संबंध में दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 439(2) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। अपील में, इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने और जमानत रद्द करने के मापदंडों के बीच अंतर को न समझकर गलती की है। पीठ ने पूरन के मामले [(2001) 6

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एससीसी 338] में प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा कि जब न्यायालय द्वारा जमानत आदेश देते समय अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा गया हो, तो यह आदेश अपील न्यायालय द्वारा जाँच के योग्य हो जाता है और संहिता की धारा 362 के तहत कोई समीक्षा नहीं की जा सकती। संक्षेप में, इस न्यायालय ने यह मत दिया है कि यदि जमानत देने का आदेश गलत है, तो उसे केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही रद्द किया जा सकता है और उसी न्यायालय द्वारा समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है।

18. उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने हाल ही के फैसले में **रणजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2013) 16 एससीसी 797]** में कहा है कि:

“19. अनुचित, अवैध या गलत आदेश को रद्द करने और जमानत आदेश को इस आधार पर रद्द करने में भी अंतर है कि आरोपी ने दुराचार किया है या कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियाँ ऐसी रद्द करने की आवश्यकता पैदा करती हैं। यदि जमानत देने का आदेश गलत है या अप्रासंगिक सामग्री के आधार पर पारित किया गया है, तो इसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।”

19. अतः, अनुचित, अवैध या अनुचित आदेश को रद्द करने की अवधारणा, आरोपी के दुराचार या जमानत दिए जाने के बाद सामने आए नए प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर जमानत रद्द करने की अवधारणा से भिन्न है, जिसके लिए जमानत रद्द करना आवश्यक हो। उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमानत देने वाले आदेश को अवैध या कानून के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विपरीत होने के आधार पर केवल जमानत देने वाले न्यायालय से उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, न कि उसी न्यायालय द्वारा।

20. इस मामले में, प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की थी, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, न्यायालय को गुमराह करके और धोखाधड़ी करके जमानत प्राप्त की थी। इस प्रकार, याचिका में जमानत दिए जाने की वैधता को चुनौती दी गई थी और जमानत आदेश को कानून के अनुसार अनुचित होने के आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी। इस प्रकार के निर्धारण से अंततः जमानत रद्द हो जाएगी। अभिलेख में लाए गए हालातों से ऐसी कोई स्थिति नहीं झलकती है जहाँ याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा जमानत का दुरुपयोग किया गया हो। इसलिए, उच्च न्यायालय उक्त याचिका पर विचार नहीं कर सकता था और इसे विधि के विरुद्ध होने के आधार पर जमानत रद्द नहीं कर सकता था।

21. यह विधि का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब किसी मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निपटारा कर दिया जाता है, तो प्रत्यक्ष वैधानिक प्रावधान के अभाव में न्यायालय का कार्य समाप्त हो जाता है और वह मामले में राहत के लिए कोई नई प्रार्थना तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि अंतिम निपटारे के पिछले आदेश को निरस्त या उस हद तक संशोधित न कर दिया जाए। यह भी स्थापित कानून है कि जमानत देने वाले निर्णय और आदेश की समीक्षा न्यायालय द्वारा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि संहिता में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता की धारा 362 न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या समीक्षा पर रोक लगाती है। उक्त वैधानिक रोक का एकमात्र अपवाद न्यायालय द्वारा लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि का सुधार है।

8. उपर्युक्त पर समुचित विचार करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रस्तुत आवेदन में कोई बल नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि (i) धमकी से संबंधित आधार के संबंध में, आवेदक ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया है—यदि संबंधित पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी—और मामले का यह पहलू यह दर्शाता है कि आवेदक का मामला वास्तविक नहीं है। (ii) इस न्यायालय की राय में, विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा धमकी दिए जाने से संबंधित आरोप निराधार और अस्पष्ट हैं; इसके अतिरिक्त, विचाराधीन जमानत आदेश के बाद जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, वे जमानत रद्द करवाने के उद्देश्य से दी गई सलाह पर आधारित थे।
9. उपर्युक्त कारणों से, यह आवेदन **खारिज** किया जाता है। लागत को आसान बनाया गया।

मार्च 19, 2026

एमएल/-

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।